

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-25/06/2026

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल रु० 13,20,00,000/- (रुपये तेरह करोड बीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-15.01.2019 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आधार पर भवन निर्माण विभाग के सकल्प सख्या-959(भ), दिनांक-25.01.2019 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य संबंधित विभागों के अधीन गठित निगमों के द्वारा ही कराया जाना है। पुन स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-523, दिनांक-30.04.2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.09.2019 को आहूत बैठक में मद सख्या-6 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में भवन निर्माण विभाग के सकल्प सख्या-8959(भ) दिनांक-04.10.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य भवनो (राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं वर्ष 2010 के बाद बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा निर्मित भवनों को छोड़कर) के अनुरक्षण एवं रख-रखाव से संबंधित सभी कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक-31.03.2020 तक) में भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्ववत् कराया जायेगा। दिनांक-01.04.2020 से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवनो का समस्त कार्य (चिकित्सा महाविद्यालय सहित) पूर्णरूपेण स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत गठित बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के माध्यम से कराया जाना है।

2- वर्णित स्थिति में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-486, दिनांक-27.04.2026 द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में रु० 45,00,00,000/- मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- तदनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 7 (सात) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए अनुलग्नक-1 के अनुरूप अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में कुल रु० 13,20,00,000/- (रुपये तेरह करोड बीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना की होगी।

5- इस राशि की निकासी मांग सख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0049-चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड-20-2210051050049 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुरक्षण एवं मरम्मत (27-02) मद में उपबधित राशि से किया जायेगा।

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत Ledger ID-18653 में जमा कर राशि का खर्च बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत नियमों तथा समय-समय पर निर्गत वित्तीय प्रावधानों के अधीन विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का धन- ऋण ज्ञापन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र/डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेगे।

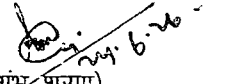
9- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/विविध-28-20/2023 के पृष्ठ-41/टि० पर प्राप्त है।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12- यह मात्र स्वीकृतादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव
Alham

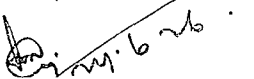
ज्ञापाक:-7/विविध-28-20/2023 - 269 (7B) /स्वा०, पटना, दिनांक 25/06/2026

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7 बी/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
Alham

अनुलग्नक:-1

राज्य के 7 (सात) जिलों में आवांति राशि की विवरणी:-

क्रम सं०	संस्थान का नाम	आवांति राशि (कपड़े में)
1	पटना जिला महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	2.20,00,000
2	नालन्दा जिला महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना	3.00,00,000
3	इंदिरा गांधी इंदर योग संस्थान, पटना	2.00,00,000
4	श्रीकृष्ण जिला महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	2.00,00,000
5	दरभंगा जिला महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा	1,00,00,000
6	जननायक कर्पूरी ठाकुर जिला महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा	2,00,00,000
7	अर्जुन नारायण माध जिला महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया	1,00,00,000
कुल-		13,20,00,000

(कपड़े में रख कर दोड़ बीस लाख) मात्र

869/407
85/06/2028

संकाय के आदेश पर
6.2